112 20 Rs.

बीस रुपया

भारत

INDIA

TWENTY RUPEES

२० रु. 20 RS.

23

1. लेख्यधारी — श्री जुलियस उरांव पिता का नाम श्री चीमा जोहन उरांव स्वर्गीय जाति उरांव पेशा खेती-बारी निवास गांव सिजरी थाना सिमडेगा जिला रांची।

2. लेख्यधारी — श्री सामुएल एक्का वो श्री सुरेश एक्का पिता का नाम श्री सिमोन एक्का स्वर्गीय जाति उरांव पेशा खेतीबारी निवास गांव पहार गुरडा प्रगना थाना सिमडेगा जिला रांची भारतीय।

3. लेख्य-प्रकार — पट्टा विक्रय-पत्र (बेबाला) ... पुत्र-पुत्रादि के लिये ... लेख्य से मालगुजारी मोबालिग बारह पैसे 0.12 पैसे मुताबिक सेस के ... सरकार ये लेख्यधारी अपना नाम से ... बराबर जो माल ... सरकार ... नाम से लिया करें।

4. मूल्य — मोबलिग छः सौ रुपैया ... जिस का आधा मोबलिग ... 600.00 रुपैया होता है।

5. सम्पत्ति — अपनी ... रैयती जमीन ... सिजरी थाना ... प्रगना बीरु ...

20 Rs.

बीस रुपया

भारत

INDIA

२० रु. 20 RS.

TWENTY RUPEES

थाना नं. १०५ खेवट नं. २ खाता नं. १९६ प्लाट नं. २६८६-

रकबा २ एकड़ ८८ डी. में से ०.३५ डी. जमीन दखील-

कुल एक खाता का एक प्लाट का टुकड़ा रकबा —

०.३५ डी. मुतअल्ल के जिला रजिस्ट्रार मोकाम-

रांची को सब रजिस्ट्रार मोकाम सिमडेगा।

1, हम को घर के दीगर खर्च के लिये इस समय-

रुपैया का जरूरत जरूरी है इस समय रुपये प्राप्त-

करने का सिवाए जमीन बिक्री करने के दूसरा-

उपाय नहीं है हम ने उपर्युक्त लेख्यधारियों

को हमारी जमीन खरीदने की आर्थना की और-

उन्होंने खरीदना स्वीकार किया।

2, इस लिये हम अपनी इच्छा से [illegible]

स्वस्थता में ऊपर खाना संख्या ८ में वर्णित जमीन-

उपर्युक्त लेख्यधारियों के हाथ मो. [illegible] रुपैया

मूल्य पाकर बेची और इस जमीन [illegible]

उक्त लेख्यधारियों को हस्तान्तरित कर दिया [illegible]

इस जमीन पर हमारा कोई [illegible]

न हमारे किसी उत्तराधिकारी का [illegible]

रहेगा चूंकि हम लेख्यकारी [illegible]

को यह विक्रय पत्र [illegible] देने के लिये [illegible]

अनुमति लेना पड़ा और [illegible]

डी. सी. साहब सिमडेगा से तारीख [illegible]

को मिल चुका है। (Vide Case No. 243 [illegible])

इस जुल्म सुस उरांव बनाम सामुयेल एक्का वगैरह

3, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि उक्त जमीन [illegible]

5Rs

INDIA

पाँच रुपये | पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

मैं जुलियुस उरांव पिता का नाम स्व० घोड़ो जोहन उरांव
स्वर्गीय जाति उरांव, व्यवसाय खेतीबारी उम्र 35 वर्ष निवास
गांव सिनरी सामटोली प्रगना थाना सिसई गा जिला
रांची सत्यापन ब्यान करता हूं कि जो जमीन मैं धीरो-
चार रहा हूं वह बिहार भूमि सुधार अधिनियम सीमा-
निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन संशोधन अधि-
नियम 1962 बिहार [illegible] सम्पत्ति (सम्या) अधिनियम
1962 ई. में जो बिहार गजट असाधारण [illegible] दिनांक
29-9-62 ई. में प्रकाशित किया गया है के [illegible]
सीमा निर्धारण से ज्यादा नहीं है।

सही जुलियुस [illegible]
वे. जोहन घोड़ो [illegible]
2.2.[illegible]

मैं जुलियुस वल्द घोड़ो जोहन [illegible]
को जो मुख्तारी वल्द [illegible]
[illegible] सामटोली थाना सिसई [illegible]
पहचान की। इसने मेरे समक्ष [illegible]
किया कि ऊपर का ब्यान [illegible]
विश्वास से सत्य है।

[illegible]

निबंधन पदाधिकारी [illegible]

हमारा निर्विवाद हक और दखल कब्जा है इस-
पर किसी प्रकार का भार या झगड़ा मौजूद नहीं-
है।

५, इस लिये यह पक्का विक्रय-पत्र केशाला बैला-
बलामी पुत्र पुत्रादिक के लिख दिया कि प्रमाण-
रहे और समय पर काम आवे।

५ कातिब जोहन सोरेंग ताईद व कौल सिमडेगा-
कोतरा ग्राम थाना सिमडेगा जिला रांची पक्का-
केशाला बैला बलामी पुत्र पुत्रादिक के लिये लिख-
कर पढ़ कर सुना दिया मोख्तार बोले कि ठीक है।
तारीख २.२.१९८२ ईस्वी।

ल्ही जुलियुस डुंग ग० तोपना -
मोहर। ता० २.२.८२ ई०।

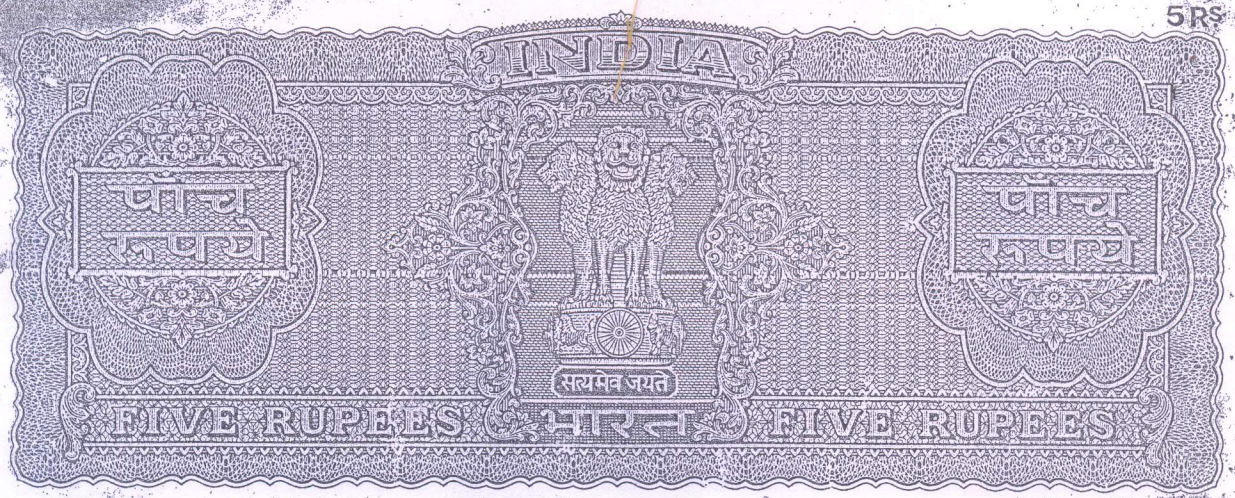

5 RS

INDIA

पाँच रुपये   पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

हम सामुएल एक्का वो सुरेश एक्का पिता का नाम
स्व० सिमोन एक्का स्वर्गीय जाति उरांव व्यवसाय खेती-
बारी निवास गांव [illegible] थाना सिमडेगा-
जिला रांची शपथ पूर्वक ब्यान करते हैं कि जो जमीन
खरीद रहे हैं वह बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा
निर्धारण एवं (अधिशेष भूमि अर्जन संशोधन
अधिनियम १९७२ ई. बिहार शहरी सम्पत्ति (सीमा)
अधिनियम १९६२ ई. में जो बिहार गजट [illegible]
दिनांक २९-९-६२ ई. में प्रकाशित किया गया है के
अनुसार सीमा निर्धारण से ज्यादा नहीं होगा।

सही. सामुएल एक्का   सुरेश एक्का
२-२-२२   २.२.२२

श्री सामुएल एक्का वो श्री सुरेश [illegible]
श्री सिमोन एक्का स्वर्गीय को [illegible]
वल्द जोसेफ उरांव स्वर्गीय [illegible]
थाना सिमडेगा जिला रांची [illegible]
मेरे सामने हलफ तथा [illegible]
ब्यान इनके जान [illegible]

[illegible]

२-२-[illegible]

निबंधन पदाधिकारी [illegible]